संख्या-125/2021/2011/सैंतीस-2-2021-1(40)/2018

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-03 दिसम्बर, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-15 के अधीन रूरल बैकयार्ड के अन्तर्गत सूकर पालन की योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-62/प.-1/एन.एल.एम./15-रूरल बैकयार्ड सू.वि./2021-22, दिनांक-13.10.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-105-सुअर बाड़ा विकास-02-राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम-0201-रूरल बैकयार्ड के अन्तर्गत सूकर पालन की योजना (के.60/रा.30/ला.10-के.+रा.) के निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-158.382 लाख (रूपये एक करोड़ अठ्ठावन लाख अड़तीस हजार दो सौ मात्र), जिसमें केन्द्रांश की धनराशि रू0-105.588 लाख व राज्यांश की धनराशि रू0-52.794 लाख है, की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
39-औषधि तथा रसायन	9.637
42-अन्य व्यय	23.883
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	124.862
योग-	**158.382**

(रूपये एक करोड़ अठ्ठावन लाख अड़तीस हजार दो सौ मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग भारत सरकार द्वारा पुनर्वैध की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक-14.09.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा पुनर्वैध धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेगे जो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

(3) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

(4) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस कार्य हेतु लाभार्थी को अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है उस कार्य हेतु लाभार्थी को पूर्व में भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(8) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।

(9) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(10) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-22.03.2021 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-105-सुअर बाड़ा विकास-02-राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम-0201-रूरल बैकयार्ड के अन्तर्गत सूकर पालन की योजना (के.60/रा.30/ला.10-के.+रा.) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-1-2306-दस-2021-2022, दिनांक-01.12.2021 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-125/2021/2011(1)/सैंतीस-2-2021- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव (एन.एल.एम.), भारत सरकार, पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।